भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 178A/2017-18

करन बोदरा **बनाम** रामू बोदरा

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
20-06-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 631 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 178A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता करन बोदरा, पिता स्व0 रुईदास बोदरा, ग्राम–दुगनी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता रामु बोदरा पिता स्व0 मुटकु बोदरा, ग्राम–पलासडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
दुगनी	199	263	420	2½डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के परदादा के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 2.30 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2½ डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.30 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'हो' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 2½डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

20/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner